BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 60 of 2026

IN THE MATTER OF:

Ashwani Kumar …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …. Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Additional affidavit on behalf of the Respondent No. 3 (Uttar Pradesh Pollution Control Board)	**1-2**
2	**ANNEXURE R3/5:** A true copy of the show cause notice dated 29.04.2026 issued to M/s Kesari Brick Field.	**3**

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 3

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the Respondent No. 3
Office at : D- 54, Sector - 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220 ; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 07.05.2026

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 60 OF 2026

IN THE MATTER OF:

Ashwani Kumar .... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. .....Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, J.P Maurya, S/o Sh. Darbari Lal Maurya, aged about 57 years presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, (hereinafter UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That the present Affidavit is filed in succession to the earlier Affidavit dated 31.03.2026.

3. That in view of the non-compliances noted in the inspection report dated 20.03.2026, the Respondent issued a letter dated 25.03.2026 to the Project Proponent directing the compliance of the deficiencies noted in the compliance Report and to file compliance report.

4. That the Project Proponent has not complied with the directions of the Board and has not filed the compliance report, hence, a show cause notice dated 29.04.2026 for revocation of CTO and Closure of Unit was issued.

A true copy of the show cause notice dated 29.04.2026 issued to M/s Kesari Brick Field is annexed herewith and marked as **Annexure R3/5.**

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

Verified on this the 07th day of May, 2026 at Lucknow.

DEPONENT

Sworn and Verified before me

NOOR JAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10942/18

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow, U.P.
Regn-10942/18
GOVT. OF INDIA

I know & identify the deponent / Executant who has signed / put his T.I. before me

S J. Iqbal Advocate
Reg No 6043/1999

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0: दिनांक:
Ref No: 440474 /सी-5/ईट-189/26 Dated : 29/04/2026

सेवा मे

मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड),
ग्राम- मामपुर बाना नगर,
तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ ।

यह कि मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 (डी) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है ।

यह कि ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0-60/2026 अश्वनी कुमार बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-05.02.2026 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-20.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ईट भट्ठा में अक्षांश व देशान्तर क्रमशः 26.997371, 80.926736 पर स्थापित व संचालित है।

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-20.03.2026 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांक-11.10.2023 की निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन नही पाया गया था, तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-1763/सह0-959/26 दिनांक-25.03.2026 द्वारा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को शर्तों के अनुपालन आख्या 15 दिवस में प्रेषित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में अभीतक प्राप्त नही हुई है, तथा स्थिति निम्नवत है।

क्र0सं0	शर्त संख्या/शर्त	निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य
1	6. Brick Kiln shall ensure to submit the Environment statement within time frame (up to 30th September of each year)	Not Submitted
2	13. The Brick kiln Shall ensure to comply eith the provisions of The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rule 2012.	Permanent Boundary wall is not found around the brick kiln. But storage of bricks in the shape of Boundary wall has been found.
3	14. In Compliance of direction issued by Central Pollution Control Board vide letter no-4877-4911, dated-27.06.2017 to all state following conditions are also applicable on the Brick Kiln:- b) All the moving area arond the main Brick kiln should be paved with bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.	Proper paving work has not been found around the brick kiln to minimize the dust emission from the Brick Kiln operations.
4	15. The Brick Kiln shall ensure to comply with all the conditions imposed in Environmental Clearance and the copy of E.C. shall be submitted to this office.	Not Submitted
5	19. Brick Kiln obtain the NOC from UP Groundwater Authority for groundwater abstraction and submit it to the Board	Not Submitted

....................2

टी.सी. – 12 वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226010
दूरभाष / ई–मेल : 0522–2720831/ info@uppcb.in
वेब साइट : www.uppcb.up.gov.in
सोशल मीडिया- @uppcboffical

T.C. - 12-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010
Phone/e-mail: 0522-2720831/ info@uppcb.in
Web site : www.uppcb.up.gov.in
Connect- @uppcboffical

(2)

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार उपरोक्त के शर्तों में से क्रम सं0-1 के संबंध में Environment statement अभीतक प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रम सं0-2 के संबंध में ईट भट्ठे के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल पूर्ण न कर मात्र सड़क की तरफ की बाउण्ड्रीवाल निर्मित की गयी है। क्रम सं0-3 के संबंध में ईट भट्ठे के चारों तरफ लगभग-15 फीट चौड़ाई का खड़न्जा लगाया गया है, परंतु ईट भट्ठे के सम्पूर्ण परिसर में पेविंग का कार्य पूर्ण न किये जाने एवं वाटर स्प्रिकलिंग न किये जाने के कारण डस्ट की समस्या पायी गयी। क्रम सं0-4 व 5 के संबंध में कोई भी सूचना प्रस्तुत नही की गई है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-63/सहा0-959/26 दिनांक-20.04.2026 द्वारा ईंट भठ्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तगर्त कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति का संज्ञान लेते हुए राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु ईंट भट्ठा मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 'ए' की सहपठित धारा-21 (4) के अंतर्गत निम्नवत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं:-

1. यह कि क्यो न मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक सं0-193258/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2023 दिनांक-11.03.2023 से दिनांक-31.07.2028 तक कि अवधि हेतु निर्गत सहमति (जल/वायु) को खण्डित कर दिया जाये।

2. यह कि क्यों न मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम- मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि मैसर्स केसरी ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम नीलम ब्रिक फील्ड), ग्राम-मामपुर बाना नगर, तह0-बक्शी का तालाब, जिला-लखनऊ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दे।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टी कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईट उद्योग का स्वयं का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 28-04-2026
o/c 18:13:27
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रभारी) वृत्त-5

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. जिला खनन अधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य अधिकारी, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।